



परीक्षा समिति की आपात बैठक, दिनांक 17 अगस्त, 2020

अपराहन 1.00 बजे -कार्यवाही

आज दिनांक 17.08.2020, दिन सोमवार को अपराहन 1:00 बजे सेक्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित अकादमिक कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. प्रो० नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एन.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2. प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, डीन, एडवांस स्टडीज ऑफ सोशल साइंस, सी.एस.जे.एन.वि.वि., कानपुर	सदस्य
3. प्रो० नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एन. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4. डा० संदीप कुमार सिंह, सह-आचार्य, प्रौढ एवं सतत शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एन. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5. डा० अंशु यादव, सह-आचार्य, आई.बी.एन., सी.एस.जे.एन. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6. डा० गायत्री सिंह, प्राचार्य, अर्नापुर पी० जी० कालेज, कानपुर	सदस्य
7. डॉ० बौद्धि पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
8. डॉ० रिपुदमन सिंह, प्राचार्य, पी.आर.आर. महिला महाविद्यालय, इटावा।	सदस्य
9. डा. अश्वेश सिंह, महानिरीक्षक, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10. श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एन. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11. डा० सगौज कुमार टिवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एन. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12. डॉ० अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एन. वि.वि., कानपुर।	सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बिन्दु सं० 1- सत्र 2019-20 की दिनांक-18 मार्च, 2020 से स्थगित (अवशेष) स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन एवं यू०जी०सी० द्वारा प्रेषित मार्गदर्शी गाइडलाइन(परीक्षा सम्पन्न कराने/प्रोन्नति सम्बन्धी) के क्रियान्वयन हेतु मा० कुलपति महोदया द्वारा गठित समिति की कार्ययोजना/संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय - सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मददेनजर यू०जी०सी० एवं उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शी गाइडलाइन एवं विकल्प प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय की परिस्थितियों एवं छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

तदक्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने हेतु मा० कुलपति महोदया द्वारा एक वृहद समिति का गठन किया गया। विश्वविद्यालय के पत्रांक सी०एस०जे०एन०वि०/सी.ओ.ई./412/2020, दिनांक-28.07.2020 द्वारा गठित समिति की

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

17.8.2020

17/8/2020



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(2)

बैठक दिनांक 11.08.2020 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी कक्ष में सम्पन्न हुई। समिति द्वारा यू0जी0सी0, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के आलोक में परीक्षा सम्पन्न कराने/प्रोन्नति सम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजना में आंशिक संशोधनों सहित निम्नवत् अंगीकृत किया गया :-

- I. कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर/एकवर्षीय पाठ्यक्रम को छोड़कर अवशेष परीक्षाएँ स्थगित रहेंगी।
- II. विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की मुख्य परीक्षाएँ, दिनांक-25 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ होकर, दिनांक-17 मार्च, 2020 तक ही सम्पन्न हो पायीं थीं, कि कोविड-19 महामारी के कारण घोषित लाकडाउन एवं शासनादेश के अनुसार आगे की परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। अतः जिन कक्षाओं की कतिपय परीक्षाएँ(सैद्धान्तिक & प्रायोगिक) लाकडाउन के पूर्व सम्पन्न करायी जा चुकी हैं, उनसे सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाएँ मूल्यांकित कराकर उनके अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित कराये जाने संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
- III. सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं (अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर को छोड़कर) के ऐसे छात्र/छात्राएँ जो लाकडाउन, दिनांक-18 मार्च, 2020 के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण हैं अथवा बैंक पेपर के लिये अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष/अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाय तथा उनकी अवशेष परीक्षाएँ स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र/छात्राएँ, जो पूर्व में सम्पादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार बैंक पेपर के लिये भी अर्ह नहीं हैं तथा अनुत्तीर्ण हैं, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाय।
- IV. विभिन्न संकायों/कक्षाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर (अन्तिम वर्ष को छोड़कर) के ऐसे छात्र/छात्राएँ, जिनकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ प्रारम्भ ही नहीं हो सकी हैं, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाय तथा वर्ष 2021 (अगली कक्षा) में सम्पन्न परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वर्ष 2020 की कक्षा में विषयवार/प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक प्रदान कर दिये जाँय। ऐसे छात्र/छात्राएँ, जिनकी स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ प्रारम्भ नहीं हो सकी हैं, उनको तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाये तथा प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर द्वितीय वर्ष में विषयवार/प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक प्रदान कर दिये जाँय। यदि वर्ष 2021 की परीक्षा में कोई छात्र/छात्रा अगर अनुत्तीर्ण होता है, तो वह वर्ष 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके परिणाम के आधार पर ही उसके विगत कक्षा (वर्ष 2020 से सम्बन्धित) के विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।
- V. कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये निर्धारित प्रोटोकाल/दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुये अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर/एकवर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षाएँ, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ऑफलाइन सम्पन्न कराये जाने की समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

क्रमशः पृष्ठ-3 पर

17.8.2020

17/8/2020



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(3)

- VI. किन्हीं कारणोंवश यदि कोई छात्र/छात्रा अंतिम सेमेस्टर/अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इस दशा में छात्र/छात्रा को उस कोर्स/प्रश्नपत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये विश्वविद्यालय की सुविधानुसार केवल कानूनी शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये केवल एक बार विशेष अवसर दिये जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन विचार कर सकता है।
- VII. समस्त संकायों के स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र/छात्राएँ जो उपरोक्त प्रस्तर-iii की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जायेंगे, वे छात्र/छात्राएँ सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत यदि वे सभी विषयों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण पाये जायेंगे, तो इनके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमें वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी है।
- VIII. समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र/छात्राएँ, जो उपरोक्त प्रस्तर- iii की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जायेंगे, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसम्बर, 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके द्वितीय सेमेस्टर, जिनमें वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी है, के अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।
- IX. यदि वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र/छात्रा कुछ विषय/विषयों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर परीक्षा के अर्ह पाया जाता है, तो इस छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण किये गये समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमें वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी।
- X. यदि कोई छात्र/छात्रा वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह वर्ष 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त प्रस्तर- vi के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमें वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी है।
- XI. उपरोक्त के अलावा AICTE, M.C.I, B.C.I., N.C.T.E तथा P.C.I., आदि Governing Body के अधीन संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त संस्थाओं द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश प्रभावी होंगे।
- XII. समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कार्ययोजना में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह तथ्य भी जोड़ा गया कि जो छात्र/छात्राएँ अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने के उपरान्त अपने प्रोन्नयन से सन्तुष्ट नहीं होंगे, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर विशेष परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा में प्रति विषय एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर देने की अनुमति तथा परास्नातक परीक्षा में दो प्रश्नपत्र में विशेष परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ-4 पर

17-9-2020

17/09/2020



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(4)

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा कराने/प्रमोट करने सम्बन्धी उपरोक्त। से
xii बिन्दुओं के अनुसार विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के सम्बन्ध में
तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की संस्तुति की गयी।

बिन्दु सं0 2- विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों की अवशेष
परीक्षाओं हेतु प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों की अवशेष
परीक्षाओं हेतु परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसका
कक्षावार/तिथिवार विवरण निम्नांकित है-

क्रमांक	कक्षा	परीक्षा प्रारम्भ की तिथि	परीक्षा समाप्ति की तिथि	कुल परीक्षा तिथियाँ
1	बी0ए0-तृतीय वर्ष	10.09.2020	09.10.2020	26
2	बी0एस-सी0-तृतीय वर्ष	10.09.2020	05.10.2020	22
3	बी0काम0-तृतीय वर्ष	08.09.2020	16.09.2020	06
4	एम0ए0-द्वितीय वर्ष	24.09.2020	07.10.2020	11
5	एम0एस-सी0 द्वितीय वर्ष	10.09.2020	25.09.2020	14
6	एम0काम-द्वितीय वर्ष	21.09.2020	05.10.2020	08
7	एम0एस-सी0(कृषि)- द्वितीय वर्ष	17.09.2020	22.09.2020	05
8	बी0लिब0	28.09.2020	07.10.2020	08
9	एम0लिब0	28.09.2020	05.10.2020	06
10	पी0जी0डी0सी0ए0	28.09.2020	05.10.2020	06
11	बी0एस-सी0 बायोटेक तृतीय वर्ष	28.09.2020	07.10.2020	05

राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय खुलने की गाइडलाइन जारी होने की दशा में परीक्षा
समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त तालिका में अंकित कक्षाओं की परीक्षाएँ कोविड-19 के
सम्बन्ध में भारत सरकार, यू0जी0सी0 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार
सोशल डिस्टेंसिंग आदि तथ्यों का अनुपालन करते हुए उपरोक्तानुसार सम्पन्न कराये जाने
का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं0 3- विश्वविद्यालय के यू0आई0ई0टी0 के बी0टेक0 कोर्स(Six Branches) के प्रथम, द्वितीय एवं
तृतीय वर्ष, Even Semester, January 2020 to July, 2020 के छात्रों को अगले वर्ष में
प्रमोशन के लिए यू0आई0ई0टी0 की एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी एवं APEC द्वारा तैयार
की गयी कार्ययोजना/संस्तुतियों को लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय - सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के यू0आई0ई0टी0 के
बी0टेक0 कोर्स(Six Branches) के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, Even Semester, January
2020 to July, 2020 के छात्रों की परीक्षाएँ कोविड-19 की महामारी के कारण उत्पन्न
परिस्थितियों के आलोक में लॉकडाउन हो जाने के कारण अभी तक सम्पन्न नहीं करायी जा

क्रमशः पृष्ठ-5 पर

17-8-2020

17/8/2020



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(5)

सकी हैं। ऐसे छात्र/छात्राओं को अगले वर्ष में प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी(यूआईटीआईटी) की एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी एवं APEC द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना/संस्तुतियों को परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों तथा मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रकरण पर जानकारी चाही गयी कि बी०टेक० पाठ्यक्रमों में अन्य तकनीकी संस्थाओं तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में नियम बनाने वाली संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा परीक्षा/प्रमोशन के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गये हैं? तत्क्रम में सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण पर अन्य तकनीकी संस्थाओं एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा लिए गये निर्णयों अथवा नियमावली को समिति के समक्ष अगली बैठक में उपलब्ध करा दिया जायेगा। अतएव परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

बिन्दु सं० 4(i) श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेवर रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के बी०ए०एम०एस० द्वितीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विषय की प्रायोगिक परीक्षा में वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों द्वारा निर्धारित पूर्णांक 200 के स्थान पर 100 पूर्णांक अंकों के आधार पर त्रुटिपूर्ण अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने के कारण समस्त छात्रों के अनुत्तीर्ण हो जाने के प्रकरण पर मा० कुलपति महोदय द्वारा छात्रहित में अनुमति प्रदान करने के आदेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि प्राचार्य, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेवर रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि बी०ए०एम०एस० द्वितीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विषय की प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 03.03.2020 को वाह्य परीक्षक-डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ एवं आन्तरिक परीक्षक- डा० विवेक अवरस्थी, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेवर रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद द्वारा सम्पन्न करायी गयी। उक्त प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों द्वारा भूलवश निर्धारित पूर्णांक 200 के स्थान पर 100 पूर्णांक अंकों के आधार पर त्रुटिपूर्ण अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित/सबमिट कर दिये गये, जिसके कारण विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 13.07.2020 को घोषित परीक्षा परिणाम में सम्बन्धित विषय के सम्पूर्ण परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गये हैं। तत्क्रम में परीक्षकों से वार्तानुसार पूर्णांक 200 के आधार पर प्राप्तांकों का अंकन अर्थात् 100 प्राप्तांक के आधार पर प्रदत्त अंकों को Double करके संशोधित अवार्ड लिस्ट और परीक्षक रिपोर्ट प्रेषित करते हुए छात्रहित में तदनुसार परीक्षाफल घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, उक्त महाविद्यालय के संदर्भित पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा में 200 पूर्णांक के आधार पर निर्मित अवार्ड लिस्ट स्वीकार करने तथा तदनुसार संशोधित परीक्षाफल घोषित किए जाने के प्रकरण पर मा० कुलपति महोदय द्वारा छात्रहित में अनुमति प्रदान करने के आदेश एवं परीक्षकों को चेतावनी पत्र निर्गत किये जाने के आदेश को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

17-8-2020

17/8/2020

क्रमशः पृष्ठ-6 पर



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(6)

बिन्दु सं० 4(ii)—वैज्ञ यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खुर्जा, के बी०ए०एम०एस० तृतीय प्रोफेशनल पुराना पाठ्यक्रम 2018-19 के छात्र आसिफ खान को कौमार्य भृत्य विषय की प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों द्वारा निर्धारित पूर्णांक 100 के स्थान पर 50 पूर्णांक अंकों के आधार पर त्रुटिपूर्ण अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने के कारण उक्त छात्र के अनुत्तीर्ण हो जाने के प्रकरण पर मा० कुलपति महोदया द्वारा छात्रहित में अनुमति प्रदान करने के आदेश के अनुमोदन पर विचार।

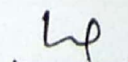
निर्णय — सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि वैज्ञ यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खुर्जा, के बी०ए०एम०एस० तृतीय प्रोफेशनल पुराना पाठ्यक्रम 2018-19 के छात्र आसिफ खान, अनुक्रमांक-5310155 द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया है कि उसे कौमार्य भृत्य विषय की प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों द्वारा निर्धारित पूर्णांक 100 के स्थान पर 50 पूर्णांक के आधार पर भूलवश त्रुटिपूर्ण अंक 25 विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिये गये जिससे परीक्षाफल 25 प्राप्तांक के आधार पर घोषित हो जाने के कारण छात्र अनुत्तीर्ण हो गया। सम्बन्धित प्रायोगिक परीक्षा के वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर परीक्षकों द्वारा ऑनलाइन अंक सबमिशन के पश्चात भूल सुधार करते हुए 100 पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांक 50 देने की अनुशंसा करते हुए विश्वविद्यालय को ई-मेल प्रेषित किया गया है।

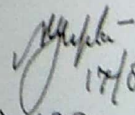
परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षकों द्वारा संशोधित एवं सही पूर्णांक 100 के आधार पर अनुशासित 50 प्राप्तांक को स्वीकार किये जाने तथा तदनुसार संशोधित परीक्षाफल घोषित किए जाने के प्रकरण पर मा० कुलपति महोदया द्वारा छात्रहित में अनुमति प्रदान करने के आदेश एवं परीक्षकों को चेतावनी पत्र निर्गत किये जाने के आदेश को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं० 5— अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से ।

निर्णय — उपरोक्तानुक्रम में अन्य कोई प्रस्ताव परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं हुआ।

अन्त में मा० कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।


17.8.2020
डॉ०(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति


17/8/2020
प्रो०(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष